



This is a digitally signed Gazette, to verify click here.

<http://rajpatrahimachal.nic.in>

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

मंगलवार, 23 जून, 2015 / 02 आषाढ़, 1937

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Dated: 06th June, 2015

No.HHC/Estt.3(415)/95-I.—In partial modification of office order No.HHC/Estt.3(415)/95-7429-31 dt.13-03-2015, 08 day's un-availed earned leave on *w.e.f.* 26-03-2015 to 02-04-2015, stands cancelled and credited in the leave account of Shri Sunil Kumar Sharma, Secretary of this Registry.

By order,
Sd/-
Registrar General.

**कार्यालय निर्वाचन अधिकारी
केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद निर्वाचन
हिमाचल प्रदेश राज्य**

अधिसूचना

शिमला-171002, ...

संख्या: हि0प्र0(होम्यो) सी0सी0एच(निर्वाचन)1/2015.—हिमाचल प्रदेश राज्य से केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली के लिये निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना ।

एतद्व द्वारा सूचना दी जाती है कि :

1. हिमाचल प्रदेश से होम्योपैथी व्यवसायी जो होम्योपैथी परिषद के रजिस्टर में पंजीकृत हैं और जिन का वर्ष 2015 के लिये नवीनीकरण हुआ है में से केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद के लिए केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद अधिनियम, 1973 की धारा 3 की उप-धारा (1) (ए) के अन्तर्गत एक सदस्य का निर्वाचन दिनांक 24 अगस्त, 2015 को किया जाना है।
2. इस निर्वाचन के लिए कोई भी व्यक्ति जो केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद अधिनियम, 1973 की धारा 5 के तहत निधार्ति अर्हताओं को पूर्ण करता हो इस निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी बनने के लिए योग्य होगा ।
3. नामांकन पत्र के प्रारूप निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 11 बजे से सायं 3 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं।
4. नामांकन पत्र अभ्यर्थी या उस से प्रस्तावक द्वारा व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा प्राप्त किये जा सकते हैं जो निर्वाचन अधिकारी को दिनांक 01-07-2015 को सायं 3 बजे तक प्राप्त हो जाने चाहिए ।
5. नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक 02-07-2015 को प्रातः 11 बजे की जायेगी ।
6. अभ्यर्थिता के प्रत्यहरण की सूचना के प्रयोजन के लिए अभ्यर्थी या उस के द्वारा सम्यक रूप से लिखित रूप से प्राधिकृत प्रस्तावक द्वारा निर्वाचन अधिकारी को दिनांक 03-07-2015 को सायं 3 बजे तक दी जा सकती है ।
7. मतदाताओं को मतपत्रों का प्रेषण दिनांक 22-07-2015 से किया जायेगा ।
8. मतपत्रों की गणना दिनांक 24-08-2015 को प्रातः 11 बजे से की जायेगी ।
9. परिणाम मत गणना के तुरन्त बाद घोषित किया जायेगा ।

आदेश द्वारा,
डा० संदीप भटनागर,
निर्वाचन अधिकारी,
केन्द्रीय होम्योपैथी निर्वाचन, हिमाचल प्रदेश ।

**OFFICE OF THE RETURNING OFFICER, CENTRAL COUNCIL FOR
HOMOEOPATHY ELECTION, REGIONAL AYURVEDIC HOSPITAL,
SHIMLA-171002 HIMACHAL PRADESH**

NOTIFICATION

Shimla-171002, the

No. HP (Homoeo) CCH (Election) 1/2015.—Election programme to the election of the Central council of Homoeopathy from the State of Himachal Pradesh.

Notice is hereby given that:

An election to the Central Council of Homoeopathy is to be held for electing one(1) member under clause (A) of sub-section(1) of section 3 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 from the state of Himachal Pradesh from amongst Homoeopathy Medical Practitioners entered in the State Register of Homoeopathy and renewed for the year, 2015 maintained by the State Council of Homoeopathy System of Medicine on 28-05-2015.

1. Any person who fulfills the requisite qualification under section 5 of the Central Council of Homoeopathy Act, 1973 is eligible to stand for this election.
2. Form of nomination paper may be obtained from the Returning Officer from his office on any working day between 11 a.m. to 3.p.m.
3. Nomination paper may be delivered by a candidate or his proposer in person or by post so as to reach the Returning Officer not later than 3 p.m. on or before 1st July, 2015.
4. Nomination paper will be taken up for scrutiny on 02-07-2015 at 11.a.m.
5. Notice of withdrawal of candidature may be delivered by a candidate or his proposer, duly authorized in writing by the candidate for the purpose to Retuning Officer before 3.p.m. 03-07-2015.
6. The Voting Papers shall be dispatched to the electors from 22-07-2015.
7. Counting of votes shall be done on 24-08-2015 from 11 a.m. in the office of the Returning Officer and marked ballot papers received up to 22-08-2015 till 3.p.m. shall only be counted.
8. The result shall be declared immediately after the counting of votes is over on 24-08-2015.

By order,
(DR. SANDEEP BHATNAGAR)
*Returning Officer,
Central Council of Homoeopathy Election.*

[Authoritative English text of this Department Notification No.SJE-E(2)-23/2007, Part-1 dated 11th June, 2015 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, the 11th June, 2015

No.SJE-E(2)-23/2007, Part-I.—In partial modification of this Department's Notification Nos. SJE-E(2)-23/2007 dated 5.3.2014, 1.4.2014, 22.7.2014 and 3.11.2014 and in exercise of the powers vested in him under Section 4 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 the Governor, Himachal Pradesh is pleased to nominate the following as Members of Juvenile Justice Boards :—

Sr. No.	Name of District jurisdiction	Principal Magistrate of the Juvenile Justice Board	Name of two Members/Social workers of the Juvenile Justice Board
1.	Kullu District excluding Ani Sub Division	Chief Judicial Magistrate, Kullu	Mr. Shiv Singh S/o Shri Kalu Ram, Village Gadouri, PO Shamshi, Distt. Kullu, Pin-175126.
2.	Kinnaur	Judicial Magistrate 1 st Class, Rampur Bushahr.	Ms. Neelam Negi, VPO Rakchham, Tehsil Sangla, Distt. Kinnaur.
3.	Una	Judicial Magistrate 1 st Class, Court No.1 Una.	Mrs. Parveen Saini, VPO Jankaur, Tehsil and District Una. Mr. Ashok Shandil, Sr. AIG(Retd.) VPO Gagret, Distt. Una, H.P.
4.	Sirmour	Judicial Magistrate, 1 st Class, Court No. 1, Sirmour	Ms. Raj Gautam Sainwala Mubarkapur (Behrampur) House No. 505, PO Majra, Tehsil Paonta Sahib, Distt. Sirmour, HP-173021.
5.	Solan	Judicial Magistrate, 1 st Class, Solan	Mrs. Vijay Gupta Lamba, Sugandha Apartments, South Enclave, Flat No.5, Block-A, near Gurudwara Sapon, Solan-193211

Note:— (The tenure of the Board shall be three years from the date of notification and the appointment of members shall be co-terminus with the tenure of the Board).

By order,
(R D DHIMAN),
Principal Secretary (SJ&E).

कार्मिक विभाग (नियुक्ति-II)**अधिसूचना**

शिमला-2, 13 मई, 2015

संख्या: पर(एपी-बी)ए(3)-5/2014.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (स्टाफ) रेगुलेशनज, 1971 के रेगुलेशन 8 और 10 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक और अनुच्छेद 318 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में **कम्प्यूटर प्रोग्रामर, वर्ग-I** (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध “क” के अनुसार निम्नलिखित भर्ती और प्रोन्नति नियम, बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 है।

(2) ये नियम राजपत्र/ई गजट हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा,
पी0 मित्रा0
मुख्य सचिव।

उपाबन्ध “क”

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यालय में कम्प्यूटर प्रोग्रामर, वर्ग-I, (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. **पद का नाम:**—कम्प्यूटर प्रोग्रामर
2. **पद (पदों) की संख्या:**—01 (एक)
3. **वर्गीकरण:**—वर्ग-I, (राजपत्रित)
4. **वेतनमान:**— (i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान:— ₹ 10300—34800 जमा ₹ 5000 ग्रेड पे।
(ii) संविदा कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां:— ₹ 15300/—(स्तम्भ 15—“क” में दिए गए ब्यौरे के अनुसार) प्रतिमास।
5. **चयन पद या अचयन पद:**—चयन
6. **सीधी भर्ती के लिए आयु:**—45 वर्ष और इससे कम:

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी:

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है:

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेदन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चातवर्ती ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेदित किए गए हैं/किए गए थे।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमंत्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति(व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं:—(क) अनिवार्य अर्हता:

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या केन्द्रीय/हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सम्मक रूप से मान्यता प्राप्त संस्थान से एम0 सी0 ए0 या सूचना प्रौद्योगिकी/कम्प्यूटर विज्ञान अभियान्त्रिकी में बी0 ई0/बी टैक की उपाधि हो।

या

डायक/नीलिट सोसाइटी से “बी” लेवल का कोर्स।

(ii) अनिवार्य अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् सरकारी/अर्ध सरकारी संगठन/प्राइवेट सेक्टर से प्रोग्राम प्लानिंग ऑफिसर या इसके समतुल्य पद पर कार्य करने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव।

(ख) वांछनीय अर्हता:—हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होगी या नहीं:—आयु:—लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हता:—लागू नहीं।

9. परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो:—दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।

10 भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, सैकेण्डमेंट, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता:—शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा, दोनों के न होने पर सैकेण्डमेंट आधार पर। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ 15—क में दी गई उपलब्धियाँ प्राप्त करेगा और उक्त स्तम्भ में यथा विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होगा।

11. प्रोन्नति, सैकेण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, सैकेण्डमैंट, स्थानान्तरण किया जाएगा।—प्रोग्राम प्लानिंग ऑफिसर में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पाँच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा, दोनों के न होने पर हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों से इस पद के समरूप वेतनमान में कार्यरत पदधारियों में से सैकेण्डमैंट आधार पर।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक(पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपाबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी:

परन्तु यह कि उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/कॉडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे:

परन्तु उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी:

परन्तु यह और भी कि, जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण:—अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा/समझे जाएंगे। यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज़ इन हिमाचल स्टेट नॉन-टैक्नीकल सर्विसीज़) रूलज़, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज़ इन दी हिमाचल प्रदेश नॉन टैक्नीकल सर्विसीज़) रूलज़, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत, भर्ती किया गया हो तथा इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(ii) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी:

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना:—जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा:—जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा:—किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन:—सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग

या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम, यथास्थिति, आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15. (क) संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्ति नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्याधीन की जाएगी:—

(1) संकल्पना.—(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में कम्प्यूटर प्रोग्रामर को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु संविदा की अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण करने हेतु अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना:—अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् रिक्त पद (पदों) के ब्यौरे, कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापित करवाएगा और इन नियमों में यथाविहित अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां:—संविदा के आधार पर नियुक्त कम्प्यूटर प्रोग्रामर को ₹15300/—रुपए की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ोतरी की जाती है, तो पश्चात्तर्वर्ती वर्ष (वर्षों), के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में ₹460/— रुपए की रकम (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी:—अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया.—संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.—जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करार.—अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध “ख” के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें :

(क) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को ₹15300/—रुपए की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/ वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में ₹460/—रुपए (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध सुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य / आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी सोलह सप्ताह के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और 5 (पांच) दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी भी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा:

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कैलेण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर, स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में, यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ0आर0एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।

16. आरक्षण.—सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.—सेवा में प्रत्येक सदस्य को हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

18. शिथिल करने की शक्ति.—जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

कम्प्यूटर प्रोग्रामर और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमति..... पुत्र/पुत्री श्री.....
..... निवासी....., संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् ‘**प्रथम पक्षकार**’ कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, के मध्य, अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (जिसे इसमें इसके पश्चात् ‘**द्वितीय पक्षकार**’ कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख..... को किया गया।

‘**द्वितीय पक्षकार**’ ने उपरोक्त **प्रथम पक्षकार** को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने कम्प्यूटर प्रोग्रामर के रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:—

1. यह कि **प्रथम पक्षकार** कम्प्यूटर प्रोग्रामर के रूप में से प्रारम्भ होने और को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात् दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. **प्रथम पक्षकार** की संविदात्मक रकम ₹15300/—(जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में ₹460/—रुपए (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध सुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।
3. **प्रथम पक्षकार** की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदात्मक नियुक्त कम्प्यूटर प्रोग्रामर एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी सोलह सप्ताह के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और (पांच) दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी भी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा:

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश/चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कैलेण्डर वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर

कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था, प्रसव होने तक उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।
7. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0/सी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में :

1.

.....

.....

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

2.

.....

.....

(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

[Authoritative English Text of this Department Notification No. Per(AP-B)A(3)5/2014 date 13-05-2015 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

DEPARTMENT OF PERSONNEL (AP-II)

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 13th May, 2015

No. Per(AP-B)A(3)5/2014.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 and Article 318 of the Constitution of India, readwith regulations 8 and 10 of the Himachal Pradesh Public Service Commission (Staff) Regulations, 1971, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following

Recruitment and Promotion Rules for the post of Computer Programmer, Class-I, (Gezetterd) in the Himachal Pradesh Public Service Commission as per Annexure “A” attached to this notification; namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Public Service Commission, Computer Programmer, Class-I, (Gazetted) Recruitment and Promotion, Rules, 2015.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra/ e-gazette Himachal Pradesh.

By order,
P. MITRA,
Chief Secretary.

ANNEXURE-“A”

**RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF COMPUTER
PROGRAMMER, CLASS-I (GAZETTED) IN THE OFFICE OF
H.P. PUBLIC SERVICE COMMISSION**

- 1. Name of the post.**—Computer Programmer
- 2. Number of post.**—01 (One)
- 3. Classification.**—Class-I, (Gazetted)
- 4. Scale of Pay.**— (i) Pay Scale for regular incumbents:
₹ 10300-34800+5000 Grade Pay
(ii) Emoluments for contract employees ₹15300/-P.M.
(as per details given in Column 15-A)
- 5. Whether “Selection” post or “Non-Selection” post.**—Selection
- 6. Age for direct recruitment.**—45 years and below.

Provided that that upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date he / she was appointed as such he / she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his / her such adhoc or contract appointment:

Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Castes / Scheduled Tribes / Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations / Autonomous Bodies at the time of initial of such constitutions of such Corporations / Autonomous

Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations / Corporations/Autonomous Bodies and who are / were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations / Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is / are advertised for inviting application or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum educational qualifications required for direct recruit(s).—*(a) Essential Qualifications:* (i) MCA or B.E./B. Tech. Degree in information Technology/Computer Science Engineering from a recognized University or from an Institute duly recognized by the Central/H.P. Government.

OR

“B” LEVEL Course from DOEACC/NIELIT Society.

(ii) At least 3 years experience as Programme Planning Officer or its equivalent post from Govt./Semi Government Organization/Private Sector after acquiring Essential Qualification.

(b) DESIRABLE QUALIFICATION:—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotees.—*Age:*—Not applicable.

Educational Qualification:—Not applicable.

9. Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, secondment, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by promotion failing which by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be failing both by secondment basis. The contract employees will get emoluments as given in Col. 15-A & will be governed by service conditions as specified in the said column.

11. In case of recruitment by promotion, secondment, transfer, grade from which promotion/secondment / transfer is to be made.—By promotion from amongst the Programme Planning Officer possessing five years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade failing which by direct recruitment failing both on secondment basis from amongst the incumbents of this post working in the identical pay scales from other H.P. Government Departments.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of

service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment / promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules:

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his / her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service / appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him / her in the respective category / post / cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years' or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him / her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion:

Explanation:—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-Servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Service) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there-under or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Serviceman (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there-under.

(ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment / promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment and Promotion Rules.

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?—As may be constituted by the Govt. from time to time.

13. Circumstances under which the H.P. Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test if Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard / syllabus etc. of which will be determined by the Commission OR other recruiting authority, as the case may be.

15-A Selection for appointment to the post by contract appointment. Notwithstanding anything contained in these Rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) CONCEPT:—(a) Under this policy the Computer Programmer in the office of H.P. Public Service Commission will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the Chairman, H.P. Public Service Commission shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF H.P. PUBLIC SERVICE COMMISSION:—The Chairman, H.P. Public Service Commission after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will advertise the details of the vacant posts in atleast two leading newspapers and invite applications from candidates having the prescribed qualifications and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these Rules.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:—The Computer Programmer appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ ₹15300/- per month (which shall be equal to initial of the pay scale + Grade pay). An amount of ₹460/- (3% of minimum of pay band + Grade Pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY:—The Chairman, H.P. Public Service Commission will be the appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS:—Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard / syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. H.P. Public Service Commission.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. H.P. Public Service Commission.

(VI) AGREEMENT:—After selection of a candidate, he / she shall sign an agreement as per Annexure-“B” appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS:—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ ₹15300/- per month (which shall be equal to initial of the pay in pay band + Grade Pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount of ₹460/- (3% of minimum of pay band + Grade Pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior / selection scales etc. will be given.

(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance / conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract appointee will be entitled for one-day casual leave after putting one-month service. However, the contract employee will also be entitled for 16 weeks Maternity Leave, 10 days Medical Leave and five days special leave. He/She shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Provided that the un-availed Casual Leave, Medical Leave and Special leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next calendar year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty.

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever recruited on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his / her fitness from a Government / Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer / Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA / DA if required to go on tour in connection with his / her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart officials at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FRSR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes / Scheduled Tribes / Other Backward Classes / other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Every number of the service shall pass the Departmental Examination as prescribed in the H.P. Departmental Examination Rules, 1997.

18. Powers to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P. Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any class or category of persons or post(s).

ANNUEXURE-“B”

Form of contract/agreement to be executed between the Computer Programmer and the Government of Himachal Pradesh through Chairman, H.P. Public Service Commission.

This agreement is made on this ----- day of ----- in the year ----- . Between Sh. Smt. ----- Son/Daughter of Shri ----- R/O ----- contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY) AND the Governor of Himachal Pradesh through Chairman, H.P. Public Service Commission. (here-in-after called the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Computer Programmer on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Computer Programmer for a period of 1 (one) year commencing on day of _____ and ending on the day of _____. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on _____ and information notice shall not be necessary:

Provided that for-further extension/renewal of contract period on year to year basis, the Chairman, H.P. Public Service Commission shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be ₹15300/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band plus grade Pay). The contract appointee will be entitled for increased in contractual amount @ ₹460/- (3%) of minimum of the pay band +grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior selection scales etc. will be given.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.
4. Contractual Computer Programmer will be entitled for one day casual leave after putting one month service. However, the contract employee will also be entitled for 16 (sixteen) weeks Maternity Leave, 10 days Medical Leave and 5 (five) days special leave. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract Computer Programmer:

Provided that the un-availed Casual Leave, Medical Leave and Special leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next calendar year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time.

However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty.

Provided that he/she shall submit a certificate of his/her illness/fitness issued by the Medical Officer as per prevailing instructions of the Government.

6. Selected candidate will have to submit a certificate of his / her fitness from a Government / Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant

beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The woman candidates should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

7. Contract appointee will be entitled to TA / DA if required to go on tour in connection with his / her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart officials at the minimum of pay scale.
8. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF/CPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. _____

(Name and Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY)

2. _____

(Name and Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)

ब अदालत उप-मण्डलीय समाहर्ता, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि० प्र०

मुकदमा : तकसीम केस नं० 24 / 13

ओंकार चंद सपुत्र श्री सूहड़ू राम सिंह, निवासी गांव हार तप्पा ननावां, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर
अपीलकर्ता

बनाम

1. राज कुमार
2. संजीव कुमार
3. सतीश कुमार

सभी सपुत्र श्री जगदीश चंद, निवासी गांव हार तप्पा ननावां, तहसील बड़सर जिला हमीरपुर

ईशतहार राजपत्र

ओंकार चंद सपुत्र श्री सूहड़ू राम सिंह, निवासी गांव हार तप्पा ननावां, तहसील बड़सर जिला हमीरपुर ने इस न्यायालय में एक अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 11-9-2012 जो सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी बड़सर ने इन्तकाल नं० 82 में पारित किया था दायर कर रखी है। इस मुकदमा में प्रतिवादी नं० 3 को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए कई बार सम्मन किए गए परन्तु हाजर न हुए और न ही प्रतिवादी नं० 3 की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है।

अतः इस इशतहार राजपत्र द्वारा उपरोक्त प्रतिवादियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 25-06-2015 को प्रातः 10.00 बजे इस न्यायालय में हाजर होकर मुकदमा तकसीम की पैरवी करें। उपरोक्त

तिथि पर न उपस्थित होने पर कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी और कोई उजर/एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 09-06-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर कार्यालय सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
उप-मण्डलीय समाहर्ता, बड़सर,
उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।

ब अदालत उप-मण्डलीय समाहर्ता, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0

मुकद्दमा : तकसीम केस नं0 23/13

ओंकार चंद सपुत्र श्री सूहड़ू राम सिंह, निवासी गांव हार तप्पा ननावां, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर
अपीलकर्ता

बनाम

1. राज कुमार
 2. संजीव कुमार
 3. सतीश कुमार
- सभी सपुत्र श्री जगदीश चंद, निवासी गांव हार तप्पा ननावां, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर

ईशतहार राजपत्र

ओंकार चंद सपुत्र श्री सूहड़ू राम सिंह, निवासी गांव हार तप्पा ननावां, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर ने इस न्यायालय में एक अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 11-9-2012 जो सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी बड़सर ने इन्तकाल नं0 135 में पारित किया था दायर कर रखी है। इस मुकदमा में प्रतिवादी नं0 3 को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए कई बार सम्मन किए गए परन्तु हाजर न हुए और न ही प्रतिवादी नं0 3 की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है।

अतः इस ईशतहार राजपत्र द्वारा उपरोक्त प्रतिवादियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 25-06-2015 को प्रातः 10.00 बजे इस न्यायालय में हाजर होकर मुकदमा तकसीम की पैरवी करें। उपरोक्त तिथि पर न उपस्थित होने पर कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी और कोई उजर/एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 09-06-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर कार्यालय सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
उप-मण्डलीय समाहर्ता, बड़सर,
उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।

ब अदालत संजय कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0

श्री प्रवीन शर्मा पुत्र श्री भूषण देव, गांव जाहू खुर्द, डा0 जाहू, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर हि0 प्र0 प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969.

जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या : HFW-HMR (B&D) 2014-3635 दिनांक 11-3-2015 अनुसार श्री प्रवीन शर्मा पुत्र श्री भूषण देव, गांव जाहू खुर्द, डा0 जाहू, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 का आवेदन समस्त रिकार्ड व शपथ पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 22-05-1992 को हुआ है परन्तु वह उपरोक्त जन्म दिनांक को ग्राम पंचायत जाहू, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न करवा सका है तथा अब उक्त जन्म दिनांक 22-05-1992 को सम्बन्धित पंचायत में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस राजपत्र इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रवीन शर्मा पुत्र श्री भूषण देव, गांव जाहू खुर्द, डा0 जाहू की जन्म तिथि 22-05-1992 को ग्राम पंचायत जाहू, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 1-7-2015 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्रवाई अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जायेगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।

आज दिनांक 4-6-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

संजय कुमार,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
भोरंज।

ब अदालत संजय कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0

श्री अजय कुमार पुत्र श्री राम राज, गांव जोल, डा0 वडैहर, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर हि0 प्र0 प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969.

अतिरिक्त रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या : HFW-HMR (B&D) 2014-4094 दिनांक 18-3-2015 अनुसार श्री अजय कुमार पुत्र श्री राम राज, गांव जोल, डा0 वडैहर, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 का आवेदन समस्त रिकार्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 13-10-1989 को हुआ है परन्तु वह उपरोक्त जन्म दिनांक को ग्राम पंचायत धमरोल, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न करवा सका है तथा अब उक्त जन्म दिनांक 13-10-1989 को सम्बन्धित पंचायत में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अजय कुमार पुत्र श्री राम राज, गांव जोल, डा0 वडैहर, की जन्म तिथि 13-10-1989 को ग्राम पंचायत धमरोल, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 1-7-2015 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जायेगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।

आज दिनांक 4-6-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

संजय कुमार,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
भोरंज।

ब अदालत संजय कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0

धर्म पाल पुत्र अनंत राम, गांव लदरौर खुर्द, मौजा मैहलता, तहसील भोरंज निवासी हाल गांव व डा0 धनेड, तहसील व जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

राजस्व रिकार्ड में नाम की दुरुस्ती बारे।

श्री धर्म पाल पुत्र अनंत राम, गांव लदरौर खुर्द, मौजा मैहलता, तहसील भोरंज निवासी हाल गांव व डा0 धनेड, तहसील व जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 ने शपथ पत्र सहित दरखास्त गुजारी है कि उसका पंचायत रिकार्ड, स्कूल रिकार्ड, आधार कार्ड में नाम धर्म पाल दर्ज है जो सही है परन्तु राजस्व रिकार्ड में उसका नाम धर्म सिंह दर्ज है, जो कि गलत है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में सही नाम का इन्द्राज करवाना चाहता है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में नाम की दुरुस्ती बतौर करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 1-7-2015 को असालतन/वकालतन हाजिर आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जायेगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।

आज दिनांक 4-6-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

संजय कुमार,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
भोरंज।

ब अदालत संजय कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0

ईश्वर चंद कालिया पुत्र भगत राम, गांव जाहू कलां, मौजा मेवा, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

राजस्व रिकार्ड में नाम की दुरुस्ती बारे।

श्री ईश्वर चंद कालिया पुत्र भगत राम, गांव जाहू कलां, मौजा मेवा, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 ने शपथ पत्र सहित दरखास्त गुजारी है कि उसका पंचायत रिकार्ड, सर्विस रिकार्ड, में नाम ईश्वर चंद कालिया पुत्र भगत राम दर्ज है जो सही है परन्तु राजस्व रिकार्ड में उसका नाम ईश्वर दास दर्ज है, जो कि गलत है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में सही नाम का इन्द्राज करवाना चाहता है। अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में नाम की दुरुस्ती करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 1-7-2015 को असालतन/वकालतन हाजिर आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जायेगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।

आज दिनांक 4-6-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

संजय कुमार,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
भोरंज।

ब अदालत संजय कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भोरंज,
जिला हमीरपुर, हि0 प्र0

हिम्मत राम पुत्र सहलो उर्फ सरवण कुमार, गांव जाहू खुर्द, मौजा मेवा, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

राजस्व रिकार्ड में नाम की दुरुस्ती बारे।

श्री हिम्मत राम पुत्र सहलो उर्फ सरवण कुमार, गांव जाहू खुर्द, मौजा मेवा, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 ने शपथ पत्र सहित दरखास्त गुजारी है कि उसका पंचायत रिकार्ड, आधार कार्ड में नाम हिम्मत राम दर्ज है जो सही है परन्तु राजस्व रिकार्ड में उसका नाम हेम राज दर्ज है, जो कि गलत है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में सही नाम का इन्द्राज करवाना चाहता है। अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में नाम की दुरुस्ती बतौर करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 1-7-2015 को असालतन/वकालतन हाजिर आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जायेगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।

आज दिनांक 4-6-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

संजय कुमार,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
भोरंज।

ब अदालत जनाब सहायक समाहर्ता एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, ज्वाली,
जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

श्री जसवन्त पुत्र श्री पथरी राम, निवासी महाल वट, मौजा ज्वाली, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम 1969.

श्री जसवन्त पुत्र श्री पथरी राम, गांव वट, डा0 खरोटा, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र गुजारा है कि श्री समीर पुत्र जसवन्त का जन्म दिनांक 31-5-2013 को गांव वट में हुआ था, जो गलती से पंचायत रिकार्ड में पंजीकृत नहीं करवा सका। अब यह जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण बारे में कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 7-7-2015 को सुबह 10 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे। इसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 10-6-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—

सहायक समाहर्ता एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी,
ज्वाली।

ब अदालत जनाब सहायक समाहर्ता एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, ज्वाली,
जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

श्री जसवन्त पुत्र श्री पथरी राम, निवासी महाल वट, मौजा ज्वाली, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम 1969.

श्री जसवन्त पुत्र श्री पथरी राम, गांव वट, डा0 खरोटा, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र गुजारा है कि मिनाक्षी पुत्री जसवन्त का जन्म दिनांक 20-10-2006 को गांव वट में हुआ था, जो गलती से पंचायत रिकार्ड में पंजीकृत नहीं करवा सका। अब यह जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 7-7-2015 को सुबह 10 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे। इसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 10-6-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—

सहायक समाहर्ता एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी,
ज्वाली।

ब अदालत जनाब सहायक समाहर्ता एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, ज्वाली,
जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

श्री जसवन्त पुत्र श्री पथरी राम, निवासी महाल वट, मौजा ज्वाली, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा,
हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम 1969.

श्री जसवन्त पुत्र श्री पथरी राम, गांव वट, डा0 खरोटा, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र गुजारा है कि नीलम पुत्री जसवन्त का जन्म दिनांक 2-3-2009 को गांव वट में हुआ था, जो गलती से पंचायत रिकार्ड में पंजीकृत नहीं करवा सका। अब यह जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 7-7-2015 को सुबह 10 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे। इसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 10-6-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी,
ज्वाली।

ब अदालत जनाब सहायक समाहर्ता एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, ज्वाली,
जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

श्री जसवन्त पुत्र श्री पथरी राम, निवासी महाल वट, मौजा ज्वाली, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा,
हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम 1969.

श्री जसवन्त पुत्र श्री पथरी राम, गांव वट, डा0 खरोटा, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र गुजारा है कि रीना पुत्री जसवन्त का जन्म दिनांक 2-3-2009 को गांव वट में हुआ था, जो गलती से पंचायत रिकार्ड में पंजीकृत नहीं करवा सका। अब यह जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 7-7-2015 को सुबह 10 बजे इस

न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे। इसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 10-6-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

सहायक समाहर्ता एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी,
ज्वाली।

ब अदालत जनाब सहायक समाहर्ता एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, ज्वाली,
जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

श्री जसवन्त पुत्र श्री पथरी राम, निवासी महाल वट, मौजा ज्वाली, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा,
हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम 1969.

श्री जसवन्त पुत्र श्री पथरी राम, गांव वट, डा0 खरोटा, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र गुजारा है कि अजय पुत्र जसवन्त का जन्म दिनांक 24-6-2011 को गांव वट में हुआ था, जो गलती से पंचायत रिकार्ड में पंजीकृत नहीं करवा सका। अब यह जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 7-7-2015 को सुबह 10 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे। इसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 10-6-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

सहायक समाहर्ता एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी,
ज्वाली।

ब अदालत रमन घरसंगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

तारीख पेशी : 30-06-2015

श्री सेम सिंह पुत्र श्री उत्तम राम, निवासी दनधार, डाकघर चनौन, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू,
हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हलफिया इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री सुमना देवी की जन्म तिथि 01-04-2010 को है, जो कि ग्राम पंचायत चनौन के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज किया जाए।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री सुमना देवी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत चनौन के अभिलेख में दर्ज करने में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 30-06-2015 को असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करे। तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा। तथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत जन्म तिथि के इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 04-06-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

रमन घरसंगी,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

ब अदालत रमन घरसंगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

तारीख पेशी : 30-06-2015

श्री झावे राम पुत्र श्री गुलाबू राम, निवासी सेरी, डाकघर जिभि, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हलफिया इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री गुंजना की जन्म तिथि 10-10-2010 को है, जो कि ग्राम पंचायत तांदी के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज किया जाए।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री गुंजना की जन्म तिथि ग्राम पंचायत तांदी के अभिलेख में दर्ज करने में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 30-06-2015 को असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करे। तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा। तथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत जन्म तिथि के इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 04-06-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

रमन घरसंगी,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

ब अदालत रमन घरसंगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

तारीख पेशी : 30-06-2015

श्री आज्ञा चन्द पुत्र श्री मान दास, निवासी दनधार, डाकघर मंगलौर, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना पत्र मय ब्यान हलफिया इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री मोनिका की जन्म तिथि 28-03-2011 को है, जो कि ग्राम पंचायत चनौन के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज किया जाए।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री मोनिका की जन्म तिथि ग्राम पंचायत चनौन के अभिलेख में दर्ज करने में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 30-06-2015 को असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करे। तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा। तथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत जन्म तिथि के इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 04-06-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

रमन घरसंगी,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

ब अदालत रमन घरसंगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

तारीख पेशी : 30-06-2015

श्री चमन लाल पुत्र श्री सुख राम, निवासी शलेरा, डाकघर चनौन, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना पत्र मय ब्यान हलफिया इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र घनश्याम की जन्म तिथि 10-04-2010 को है, जो कि ग्राम पंचायत चनौन के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज किया जाए।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पुत्र घनश्याम की जन्म तिथि ग्राम पंचायत चनौन के अभिलेख में दर्ज करने में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 30-06-2015 को असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करे। तारीख गुजरने के बाद किसी भी

प्रकार का एतराज मान्य न होगा। तथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत जन्म तिथि के इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 04-06-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

रमन घरसंगी,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

ब अदालत रमन घरसंगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

तारीख पेशी : 30-06-2015

श्री नीरत सिंह पुत्र श्री टेक सिंह, निवासी डोघर, डाकघर कोटला, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना पत्र हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 2004 धारा 4(2) के तहत प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना पत्र मय ब्यान हलफिया इस आशय से गुजारा है कि उसने दिनांक 01-04-04 को श्रीमती राधा देवी से विवाह किया है, जो कि ग्राम पंचायत कोटला के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज किया जाए।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पत्नी राधा देवी का नाम ग्राम पंचायत कोटला के अभिलेख में दर्ज करने में यदि कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 30-06-2015 को असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करे। तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 2004 धारा 4(2) के तहत इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 04-06-15 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

रमन घरसंगी,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

ब अदालत जनाब श्री जगदीश कुमार, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री पूर्ण चन्द पुत्र श्री तुला राम, निवासी ग्राम सादनाघाट, डाकघर नैना टिक्कर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरखास्त जेरधारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री पूर्ण चन्द पुत्र श्री तुला राम, निवासी ग्राम सादनाघाट, डाकघर नैना टिक्कर, तहसील पच्छाद ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री कुसुम पुत्री श्री पूर्ण चन्द का जन्म मिति 17-02-2008 को हुआ है, जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत सादनाघाट, तहसील पच्छाद में नहीं हुआ है।

अतः इस इशतहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम या तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30-06-2015 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत सम्बन्धित को उक्त नाम व तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 03-06-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सब रजिस्ट्रार,
पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत जगदीश कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम/द्वितीय श्रेणी, तहसील पच्छाद,
जिला सिरमौर, हि0 प्र0

दावा संख्या : 25/9 ऑफ 12

तारीख मरजुआ : 28-8-2012

तारीख पेशी : 30-06-2015

ब मुकदमा तकसीम

श्री रतन सिंह पुत्र श्री लच्छमी सिंह, निवासी गांव चमरोगी नाहन, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर,
हि0 प्र0 वादी

बनाम

बलदेव सिंह आदि

डिम्पल, वशिका तोमर, सोमा देवी, रितेश तोमर, ईन्द्रा देवी, कमलेश देवी, अरुणा देवी, अरुण सिंह,
अनिल कुमार आदि प्रतिवादी।

विषय.—प्रार्थना पत्र तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू राजस्व अधिनियम 1954 भूमि खाता/खतौनी नं0 18/44 ता 52, किते 245 रकबा 1132-19 बीघा वाका चमरोगी की नाहन तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

प्रार्थी श्री रतन सिंह पुत्र श्री लच्छमी सिंह, निवासी गांव चमरोगी नाहन, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने तकसीम प्रकरण इस न्यायालय में बराये तकसीम आवेदन पत्र गुजार रखा है जो इस अदालत में विचाराधीन है। प्रतिवादीगण उपरोक्त को तामील बारे बार-बार समन जारी करने के उपरान्त भी असालतन नहीं हो पा रही है जिस कारण इस अदालत को यकीन हो गया है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती। उपरोक्त प्रतिवादी की तामील असालतन न होने के कारण तकसीम प्रकरण लम्बित चले आ रहे हैं।

अतः प्रतिवादी/प्रतिवादीगण उपरोक्त को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 30-06-2015 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन अपना उजर एवं एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैर हाजरी की सूरत में यह समझा जायेगा कि आपको उपरोक्त तकसीम बारा किसी प्रकार का कोई एतराज नहीं है तथा यक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 14-05-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
पच्छाद, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

अदालती इश्तहार

ब अदालत श्री कपिल तोमर, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

श्री रणजीत पुत्र श्री अमरसिंह, निवासी सधौड़ी, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना पत्र श्री रणजीत पुत्र श्री अमरसिंह निवासी सधौड़ी, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अन्तर्गत आवेदनपत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है उसकी पुत्री मुसकान जिसकी जन्मतिथि 18-2-2010 है, का नाम ग्राम पंचायत सेर जगास, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्व-साधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-6-2015 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर कु0 मुसकान की जन्मतिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 4-6-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
(कपिल तोमर)
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

अदालती इश्तहार

ब अदालत श्री कपिल तोमर, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

श्री यशपाल चौहान पुत्र श्री पन्नालाल निवासी बेंहड, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना पत्र श्री यशपाल चौहान पुत्र श्री पन्नालाल निवासी बेंहड, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अन्तर्गत आवेदनपत्र

प्रस्तुत करके प्रार्थना की है उसका पुत्र आयुष चौहान व पुत्री अमीषा चौहान जिनकी जन्मतिथि 13-11-1998, 4-12-2002 है, का नाम ग्राम पंचायत शलाना, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्व-साधारण को इस ईश्वर द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-6-2015 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर आयुष चौहान व पुत्री अमीषा चौहान की जन्मतिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 4-6-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
(कपिल तोमर)
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

CORRIGENDUM

Please read "Service No. 258121 instead of 25121" at page No. 1112, in the e-Gazette No. 44/2015, dated 3rd June, 2015.

Sd/-
Deputy Controller,
Printing & Stationery Deptt.,
Shimla-171005.

